

राजस्थान सरकार  
निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएँ  
2 जलपथ, गांधी नगर, जयपुर

क्रमांक: F26(4)(34) ब.घो.-158/IEC/ICDS/17-18/

9293-9630

जयपुर दिनांक : 11.01.18

उपनिदेशक,  
महिला एवं बाल विकास विभाग,  
समस्त

बाल विकास परियोजना अधिकारी  
समेकित बाल विकास सेवाएँ  
समस्त

**विषय:-** बजट घोषणा -158 के क्रम आंगनबाड़ी केन्द्रों को प्री स्कूल सेटअप के रूप में विकसित करने के लिए राजसीको द्वारा आपूर्ति की गयी सामग्री की जांच बाबत।  
**सन्दर्भ:-** इस निदेशालय का पत्रांक 176794-77131 दिनांक 10.11.2017


उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र द्वारा आपको निर्देशित किया गया था कि आपके जिले की परियोजनाओं में चयनित आंगनबाड़ी केन्द्रों पर सामग्री की आपूर्ति करते समय पत्र में अंकित बिन्दुओं का पालना सुनिश्चित किया जाना था। किन्तु प्राप्त सूचनानुसार कुछ परियोजनाओं में न्यून गुणवत्ता की सामग्री भी स्वीकार कर ली गई है। जो कि अनुचित है।

विभागीय आदेश द्वारा स्पष्ट निर्देशित किया गया था कि बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय में स्पेशिफिकेशन के अनुसार सामग्री प्राप्त होने का प्राप्ति चालान आपूर्तिकर्ता को प्राप्ति दिनांक अंकित करते हुए उपलब्ध कराया जाना है। सामग्री की गुणवत्ता में किसी भी प्रकार की शिकायत प्राप्त होने पर निदेशालय को अवगत करावें ताकि विभाग आपूर्ति की गयी सामग्री की अपने स्तर पर जांच करा कर नियमानुसार कार्यवाही कर सकें।

संदर्भित पत्र के अनुसार राजसीको के माध्यम से आपूर्ति किये जाने वाली सामग्री का स्पेशिफिकेशन निम्नानुसार है :-

S.	Description of Items	Minimum Specifications
1.	Steel Almirah (Small)	1. Size - 1280x760 x430mm 2. Weight - 38 kg
2.	Chair with continues arm. (Handle of teak wood)	1. Size - 900x450x400 mm 2. Weight - 6.00 kg. (excluding wooden seat, backrest & arms)
3.	Tubular steel Table for Office purposes with particle board of laminated sun mica ISI Mark 25 MM thickness	1. Size - 1220x710x760mm 2. Top- 1220x710x25mm 3. Frame 1020x550x735mm 4. Weight - 22.85 kg (excluding Top)

समस्त उपनिदेशकों को निर्देशित किया जाये कि वे अपने जिलों में राजसीको द्वारा आपूर्ति की गई सामग्री की जिला स्तर पर चार सदस्यों की जांच समिति/समितियों बनाकर उसकी जांच करावें। प्रत्येक जांच समिति में कम से कम एक सीडीपीओ और एक लेखाकर्मी अवश्य शामिल हो। जांच समिति एक सप्ताह में अपने जिले की सामग्री की जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। संकलित जांच रिपोर्ट उपनिदेशक द्वारा निदेशालय को भिजवायी जायेगी। जांच के मुख्य बिन्दु (1) सामग्री की मात्रा, (2) स्पेशिफिकेशन के अनुरूप गुणवत्ता (3) निर्धारित अवधि के अन्दर आपूर्ति तथा (4) प्रत्येक फर्नीचर पर राजसीको द्वारा अधिकृत एजेन्सी/संस्था द्वारा जांच में सही पाये जाने का होलोग्राम लगाया गया है अथवा नहीं।

  
आयुक्त

समेकित बाल विकास सेवाएँ  
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : F26(4)(34) ब.घो.-158/IEC/ICDS/17-18/


9631-33

जयपुर दिनांक :

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

11.01.18

1. निजी सचिव, शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, आयुक्त, समेकित बाल विकास सेवाएँ, जयपुर।
3. एसीपी (उप निदेशक), मुख्यालय को विभागीय वैबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

  
अतिरिक्त निदेशक (आई)